महर का शरई हुक्म

8-11 दिसम्बर 1989 ई0 (8-11 जमादिउल अव्वल 1410 हिजरी) को दिल्ली में आयोजित दूसरे फ़िक्ही सेमिनार में सामूहिक रूप से यह अपील की गयी किः

महर तय करते समय करंसी के बजाए सोना या चांदी को मानक (व आधार) बनाया जाए। यानी महर सोने या चांदी के वज़न में निधार्रित किया जाए। चूंकि करंसी के मूल्य में गिरावट आती रहती है जिसकी वजह से औरतों को महर के माल में नुक़सान हो सकता है, जबकि सोने या चांदी की क़िमत हमेशा बनी हरती है।

☆☆☆